



# JALAUN POLICE



03 अभियुक्तों को 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर व प्रतिबन्धित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन ने 03 अभ्यस्त अपराधी, जिसके विरुद्ध जनपद के थानों में गंभीर धाराओं जैसे चोरी, लूट, बलवा, गुंडा अधि० आदि में अभियोग पंजीकृत हैं को दिनांक- 30.04.2026 से 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर व प्रतिबन्धित किया/कराया गया है ।

जिलाबदर अभियुक्त निष्कासन की अवधि में लिखित रूप से अवगत करायेंगे कि वह किस राज्य/जनपद/थाना/शहर/मुहल्ला/गाँव में निवास करेंगे एवं निष्कासन अवधि में अपने साथ अस्त्र, शस्त्र व आग्नेयशास्त्र इत्यादि धारण नहीं करेंगे, यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाते हैं, तो उनके विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि० 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त कार्यवाही से 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को अवगत करायेंगे । प्रतिबन्धित अभियुक्त उक्त अवधि में लोक शान्ति बनाये रखते हुये अपने-अपने थानों पर प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी ।

## विवरण जिलाबदर अभियुक्त -

1. जीतू कोरी पुत्र पुतूलाल कोरी निवासी ग्राम अकबरपुर थाना माधौगढ जनपद जालौन ।
2. श्यामू पुत्र बसोरे निवासी मु० हृदेयशहा कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन ।

## विवरण प्रतिबन्धित अभियुक्त-

1. रूस्तम उर्फ रूषतम उर्फ पुरूषोत्त पुत्र बृजकिशोर निवासी ग्राम चुर्खी थाना चुर्खी जनपद जालौन ।